



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14052022-235775
CG-DL-W-14052022-235775

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 14—मई 20, 2022 (वैशाख 24, 1944)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14—MAY 20, 2022 (VAISAKHA 24, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	663	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	349	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	879	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	5959
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	67
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1143
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	663	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	349	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	879	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5959
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	67
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1143
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय
(लोक लेखा समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मई 2022

सं. 4/1/2022/पीएसी—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 01 मई, 2022 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है:—

लोक सभा

1. श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. श्री विष्णु दयाल राम
6. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री जी. एम. सिद्धेश्वर
9. श्री बृजेन्द्र सिंह
10. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्ति सिंह गोहिल
17. श्री भुवनेश्वर कालिता
18. डॉ. अमर पटनायक
19. डॉ. सी.एम. रमेश
20. श्री वि. विजय साई रेड्डी
21. डॉ. एम. थंबीदुरई
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

2. माननीय अध्यक्ष ने श्री अधीर रंजन चौधरी को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

टी. जी. चंद्रशेखर
अपर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2022

सं. क्यू-16012/1/2021-ईएसए(एनएलआई) (भाग)—जबकि वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर – 24, नोएडा श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के तहत पंजीकृत किया गया है।

तथा जबकि उक्त सोसाइटी के नियमों और विनियमों के नियम III में इसके गठन का उपबंध है।

अब, अतः पूर्वोक्त नियम के अनुसरण में, उक्त सोसाइटी की 15वीं सामान्य परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे (क्र.सं. 3 से 7 तक उल्लिखित सभी सदस्यों के पद का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा) :—

1	श्रम और रोजगार मंत्री	अध्यक्ष
2	श्रम और रोजगार, राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3	छह केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि:—	
	(i) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	उपाध्यक्ष
	(ii) अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
	(iii) संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर के अधिकारी जो श्रम और रोजगार मंत्रालय में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का कार्यभार देखते हैं	सदस्य
	(iv) वित्तीय सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय	सदस्य
	(v) सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
	(vi) सलाहकार (एलईएम), नीति आयोग	सदस्य
4	कर्मचारी संगठन से दो प्रतिनिधि	
	(i) श्रीमती नीलिमा लक्ष्मीकांत चिमोटे, अखिल भारतीय सचिव बीएमएस	सदस्य
	(ii) श्रीमती अमरजीत कौर, महासचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)	सदस्य
5	नियोक्ता संगठन से दो प्रतिनिधि	
	(i) भारतीय नियोक्ता परिषद	बाद में अधिसूचित किया जाएगा
	(ii) अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन	
6	चार विख्यात व्यक्ति जिन्होंने श्रम अथवा संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं	बाद में अधिसूचित किया जाएगा
7	संसद के दो सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा, प्रत्येक में से एक)	बाद में अधिसूचित किया जाएगा
8	महानिदेशक, गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद – गुजरात	सदस्य
9	महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई, नोएडा	सदस्य सचिव

अतुल कुमार सिंह
अवर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT
(PAC BRANCH)

New Delhi-110001, the 2nd May 2022

No.4/1/2022/PAC—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on 1st May, 2022 and ending on 30 April, 2023:—

LOK SABHA

1. Shri Subhash Chandra Baheria
2. Shri Adhir Ranjan Chowdhury
3. Shri Bhartruhari Mahtab
4. Shri Jagdambika Pal
5. Shri Vishnu Dayal Ram
6. Shri Pratap Chandra Sarangi
7. Shri Rahul Ramesh Shewale
8. Shri Gowdar Mallikarjunappa Siddeshwara
9. Shri Brijendra Singh
10. Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh
11. Dr. Satya Pal Singh
12. Shri Jayant Sinha
13. Shri Balashowry Vallabbhaneni
14. Shri Ram Kripal Yadav
15. Shri Shyam Singh Yadav

RAJYA SABHA

16. Shri Shaktisinh Gohli
17. Shri Bhubaneswar Kalita
18. Dr. Amar Patnaik
19. Dr. C. M. Ramesh
20. Shri V. Vijayasai Reddy
21. Dr. M. Thambidurai
22. Dr. Sudhanshu Trivedi
2. The Speaker has been pleased to appoint Shri Adhir Ranjan Chowdhury as the Chairperson of the Committee.

T.G. CHANDRASEKHAR
ADDITIONAL SECRETARY

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 7th April 2022

No. Q-16012/1/2021-ESA(NLI)(Pt.)—WHEREAS THE V.V. Giri National Labour Institute, Sector-24, NOIDA is an autonomous body of Ministry of Labour and Employment. The Institute has been registered as a Society under Societies Registration Act 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

AND WHEREAS Rule III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

NOW, therefore in pursuance to aforesaid Rule, the 15th General Council of the said Society shall consist of the following (the terms of office of all the members mentioned at Sr. No. 3 to 7 shall be for 03 years) :—

1.	Union Minister for Labour and Employment	President
2.	Minister of State for Labour and Employment	Vice President
3.	Six Central Government Representatives:—	
	(i) Secretary, Ministry of Labour & Employment	Vice President
	(ii) Additional Secretary, Ministry of Labour & Employment	Member
	(iii) Joint Secretary or an officer of equivalent status looking after the work of V.V. Giri National Labour Institute in the Ministry of Labour & Employment	Member
	(iv) Financial Adviser, Ministry of Labour & Employment	Member
	(v) Secretary, Department of Secondary and Higher Education, Ministry of HRD	Member
	(vi) Adviser (LEM), NITI, Aayog	Member
4.	Two representatives from Workers' Organisation	
	(i) Mrs. Nilima Laxmikant Chimote, All India Secretary BMS	Member
	(ii) Smt. Amarjeet Kaur, General Secretary, All India Trade Union Congress (AITUC)	Member
5.	Two representatives from Employers' Organisation	To be notified later
	(i) Council of Indian Employers	
	(ii) All India Manufacturers's Organisation	
6.	Four Eminent persons who have made noteworthy contribution in the field of labour or related fields	To be notified later
7.	Two Members of Parliament (one each from Lok Sabha and Rajya Sabha)	To be notified later
8.	Director General, Gandhi Labour Institute, Ahmedabad – Gujarat	Member
9.	Director General, VVG NLI, Noida	Member Secretary

ATUL KUMAR SINGH
Under Secretary